बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

संख्या– FC-298....

प्रेषक,

एoकेoपाण्डेय, भाoवoसेo
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 10/04/2019

विषय– श्रीमति कुमारी शिला दिक्षित द्वारा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मौजा–चिकनी बरवा के खाता संख्या–164, खेसरा संख्या– 323, पक्की सडक/पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0105 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मौजा–चिकनी बरवा के खाता संख्या–164, खेसरा संख्या– 323, पक्की सडक/पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0105 हे. वन भूमि अपयोजन हेतु कुमारी शीला दीक्षित, पिता– श्री गिरिधारी राम, ग्राम–सिरिसियामाल, पोस्ट–नोनियाडीह, थाना–नकरदेई, जिला– पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी, पिन कोड– 845 305 का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के पत्रांक 796, दिनांक 05.05.2017 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.04.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है तथा भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC- 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.0105 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में FRA 2006 प्रमाण–पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

नियमतः वन (संरक्षण) अधिनियम, संशोधन 2003 के आलोक District Collector को FRA 2006 certificate देने संबंधी कारवाई स्टेज–1 की स्वीकृति के पूर्व निर्धारित समय–सीमा में सम्पन्न कर लेनी चाहिए तथा वन संरक्षक को FRA 2006 certificate उपलब्ध कराना चाहिए।

मोबाईल संख्या– 8986153139 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

इस प्रकार नियमावली 2003 के अनुसार Stage-I (In-principle Approval) के पूर्व की Time-line में District Collector के द्वारा FRA, 2006 Certificate प्रदान करने का प्रावधान तथा मंत्रालय के पत्र द्वारा यथा वर्णित Stage-I (in-principle Approval) के बाद लगायी गई शर्तों के अनुपालन के समय–सीमा में जिला पदाधिकारी द्वारा FRA 2006 प्रमाण–पत्र प्रदान करने का निर्देश, विरोधाभासी प्रतीत होता है। फिर भी मंत्रालय के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में FRA 2006 प्रमाण–पत्र के बिना ही प्रस्ताव को Stage-I स्वीकृति हेतु सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

4. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map, shape File एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के प्रपत्र–III में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर 15 वृक्षों का पातन किया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी के प्रपत्र–II में प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.2 से कम अंकित किया गया है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आसपास कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी के प्रपत्र–II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् उल्लंघन नहीं किया गया है।

8. वन संरक्षक, सीवान द्वारा उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ इस पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।

(ii) 0.0105 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 6,573/– (छः हजार पाँच तेहत्तर रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 150 (एक सौ पचास) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iv) वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय डिपू तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को रू. 268/– (अद्यतन मजदूरी) X 4 मानव दिवस, अर्थात रू. 1072/– प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

(v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।

मोबाईल संख्या– 8986153139 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

(vi) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्‌टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्‌टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-298 दिनांक–10/04/2019

प्रतिलिपि : कुमारी शीला दीक्षित, पिता– श्री गिरिधारी राम, ग्राम–सिरिसियामाल, पोस्ट–नोनियाडीह, थाना–नकरदेई, जिला– पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी, पिन कोड– 845 305 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Akpandey 10/04/19

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।